

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 04/2022 – रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल	बनाम	1. पन्नालाल पिता भागीरथ सुवालका 2. रतनलाल पिता भागीरथ सुवालका 3. कांता पुत्री भागीरथ सुवालका निवासीयान पीथास तहसील माण्डल
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. परोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.11.2025

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर.

र.च.सी./4911/2020/भीलवाडा सरकार बनाम पन्नालाल निर्णय दिनांक 21.04.2022 में अंकन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट करे कि उक्त आवंटन को किस नियम के तहत बाधित होना प्रमाणित होता है तथा किस नियम के तहत उक्त आवंटन को नैरस्त किया जाना उचित होगा। प्रकरण को समस्त राजस्व रिकार्ड से परीक्षण करावे तदनुसार अलोटमेंट ऑफ लैण्ड फोर डिगिंग ऑफ वेल एण्ड इन्टालिंग ऑफ पम्पिंग सेट फोर इरीगेशन रूल 1979 में अंकित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये विधि सम्मत निर्णय लेवें।

1. ग्राम पीथास तहसील माण्डल के आराजी नंबर 3037/1337 रकबा 0.01 बीघा भूमि किस्म गै०मु० चाह वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के खाता सं० 864 अनुसार विपक्षीगण के गैर खातेदारी लीज होल्डर के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं। उपरोक्त आराजी नंबर की किस्म पूर्व में गै०मु०नदी दर्ज थी, जो विपक्षीगण को दिनांक 26.07.1989 को आवंटन/नियमन की गई।
2. सब डिविजनल ऑफीसर भीलवाडा के प्रकरण सं० 03/1989 से विपक्षीगण के पिता श्री भागीरथ पिता रामलाल सुवालका द्वारा ग्राम पीथास तहसील माण्डल की आ०न० 1337 में रकबा 0.01 बीघा भूमि पर खोदे गये कुएं को सशर्त नियमित किया गया हैं।

Dr.
21.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा



3. आदेश में भूमि की किस्म गै0मु0नदी अंकित हैं। आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरकरण सं0 665 में आराजी नं0 1337 की किस्म पेटा नदी दर्ज हैं। उक्त नामान्तरकरण में आ0नं0 3037/1337 रकबा 0.01 बीघा को आवंटी के नाम गै0मु0 चाह दर्ज किया गया, जो दिनांक 01.02.1990 को स्वीकृत हुआ है।
4. राजस्व अभिलेख में जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में प्रश्नगत आराजी नंबर 3037/1337 रकबा 0.01 बीघा भूमि विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक के रूप में अभिलिखित है।
5. जमाबंदी संवत् 2034 से 37 में प्रश्नगत आराजी नं0 1337 रकबा 120.04 बीघा की किस्म नदी दर्ज हैं,
6. संवत् 2075 से 78 (वर्ष 2018-21) आराजी नंबर 3037/1337 रकबा 0.0126 गे.मु. चाह दर्ज रिकार्ड थी।
7. संवत् 2030 से 49 (वर्ष 2073-92) आराजी नंबर 1337 रकबा 120.4 बीघा गे.मु. नदी दर्ज रिकार्ड थी।
8. संवत् 2025 (वर्ष 1968) आराजी नंबर 1337 रकबा 120.4 गे.मु. नदी दर्ज रिकार्ड थी। वर्ष 1968 सेटलमेण्ट के दौरान आराजी नं. 1594 के नये नम्बर आराजी नंबर 1337 किये गये।
9. संवत् 2013-16 (वर्ष 1956-59) आराजी नंबर 1/1594 रकबा 368.13 बीघा गे.मु. नदी दर्ज रिकार्ड थी।
10. संवत् 1994 (वर्ष 1937) आराजी नंबर 1594 रकबा 293.13 बीघा गे.मु. नदी दर्ज रिकार्ड थी।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./एच.सी./4911/2020/भीलवाडा सरकार बनाम पन्नालाल निर्णय दिनांक 21.04.2022 रेफरेन्स प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 27.07.2022 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण लगातार अनुपस्थित हैं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम पीथास तहसील माण्डल के आराजी नंबर 1337 रकबा 120.04 बीघा किस्म नदी संवत् 1994 (वर्ष 1937), 2030 से 49, 2034 से 37, 2043 से 2046 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी, जो विपक्षीगण को 01 बिस्वा दिनांक 26.07.1989 को कुएं हेतु उपखण्ड

Dr.
21.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अधिकारी भीलवाडा द्वारा नियमन की गयी, जो प्रारम्भ से ही शून्य है।

प्रार्थी तहसीलदार माण्डल ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशों के अनुरूप संवत् 1994 (वर्ष 1937), 2030 से 49, 2034 से 37, 2043 से 2046 की जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं।


राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत नियमित की गई भूमि की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन नियमों के विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है एवं भूमि की किस्म को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाना आवश्यक है। उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू-भाग किस्म नदी दर्ज रिकार्ड थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं० 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत है। अतःएव—

आदेश

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पीथास तहसील माण्डल के आराजी नंबर 1337 रकबा 120.04 बीघा किस्म नदी संवत् 1994 (वर्ष 1937), 2030 से 49, 2034 से 37, 2043 से 2046 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी, जिसमें नियमन से विपक्षीगण का नाम हटाया जाकर पुनः नदी अंकित कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


21.11.25
अति. जिला कलक्टर
अति. भीलवाडा कलक्टर
भीलवाडा